रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 591] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1983/पौष 10, 1905
No. 591] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1983/PAUSA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

### आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1983

**का० आ० 947(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/83:**—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 218(अ)/18क/आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 29 मार्च, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, तारीख 29 मार्च, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और वेस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 6ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700013 को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय बनाई है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 दिसम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए ऐसे बने रहने के लिए निदेश जारी किए थे, देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 234(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 28 मार्च, 1983 और सं० का०आ० 694(अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 29 सितम्बर, 1983;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क

को उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि तारीख 29 मार्च, 1978 का उक्त आदेश 30 जून, 1984 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा० सं० 2(25)/74 सीयूएस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF INDUSTRY

### (Department of Industrial Development)

### ORDER

New Delhi, the 31st December, 1983

S.O. 947(E)|18A|IDRA|83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218(E)|18A|IDRA|78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaikng known as Messrs Alok Udyog Vanaspati and Plywood Limited, located at Calcutta, had been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subodh Mallik Square, 7th Floor, Calcutta-700013, was appointed as the authorised controller,

And whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st December, 1983 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 234(E)|18A|IDRA|83 daed the 28th March, 1983 and No. S.O. 694(E)| 18A|IDRA|83, dated the 29th September, 1983;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order dated the 29th March, 1978, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1984.

[File No. 2(25)|74-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984